कैबिनेट के फैसले

■ सरकार राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ी, अध्यादेश मंजूर
■ एससीआर के दायरे में लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और बाराबंकी आएंगे

राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए बनेगा नया प्राधिकरण

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। एससीआर के दायरे में छह जिले लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और बाराबंकी आएगा।

प्रदेश के मध्य क्षेत्र में राजधानी लखनऊ और अन्य बड़े शहरों के चतुर्दिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण शहरीकरण व इसके लिए राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए नया अध्यादेश लाकर इसकी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री की निगरानी में होगा काम: राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आवास पदेन सदस्य संयोजक होंगे। इसके अलावा एक कार्यकारी समिति होगी। इसका अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे।

क्या होगा काम: क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का काम क्षेत्रीय प्लान बनाते हुए इसके अनुरूप विकास कराना होगा। क्षेत्रीय प्लान में मास्टर प्लान, विकास योजना और प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकरणों व विभागों के साथ समन्वय करना होगा। क्षेत्रीय प्लान के अनुसार विकास योजना को जमीन पर लाना होगा। विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों और सरकारी विभागों से रीजनल प्लान व फंक्शन प्लान के क्रियान्वयन से संबंधित विवरण प्राप्त करना है। परियोजनाओं का चयन, स्वीकृति और क्रियान्वयन करना होगा।

मंगलवार को हुए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, एके शर्मा और नंद गोपाल गुप्ता।

किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध: योगी

मुआवजा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले तीन दिनों में खराब मौसम से अन्नदाताओं की क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए 23 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। यह धनराशि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित नौ जनपदों के लिए जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को तत्काल अन्नदाताओं के खातों में धनराशि भेजने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कार्य लगभग पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है।

स्वीकृत की धनराशि: प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खराब मौसम से क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को खेतों में स्थलीय आकलन के लिए भेजा गया था।

मुख्यमंत्री को भेजी गई थी क्षतिग्रस्त फसलों की रिपोर्ट

प्रदेश के नौ जिलों से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों की रिपोर्ट विभाग को भेजी गयी थी। इस रिपोर्ट को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में उन्होंने नौ जिलों के लिए 23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि जालौन के लिए सबसे ज्यादा पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं ललितपुर, महोबा, सहारनपुर के लिए 3-3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह बांदा, बस्ती, झांसी और शामली के लिए दो-दो करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

प्रदेश सरकार विवादित नजूल भूमि वापस लेगी

लखनऊ। राज्य सरकार ने नजूल भूमि के प्रबंधन को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है। सरकार पट्टा समाप्त होने या फिर विवादित नजूल भूमि को लोक प्रयोजन और प्रबंधन के लिए वापस लेने जा रही है। इतना ही नहीं, भविष्य में नजूल की भूमि को फ्री होल्ड भी नहीं किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी गई है।

बिना अर्जन मिल जाएगी भूमि: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्र सरकार द्वारा गवर्मेंट ग्रांट एक्ट 1895 खत्म कर दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में नजूल संबंधी सभी नीतियां स्थगित कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने इसीलिए एक ऐसे अध्यादेश की जरूरत महसूस की जिससे नजूल भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए शासन को पुनः मिल सके। इस अध्यादेश के प्रभावी होने के बाद जिन जमीनों का पट्टा समाप्त हो चुका है या फिर विवादित है, ऐसी नजूल भूमि शासन को बिना अर्जन के ही मिल जाएगी। अध्यादेश के प्रभावी होते हुए प्रदेश में निजी व्यक्तियों या फिर निजी संस्थाओं के पक्ष में स्वामित्व बदलने के लिए फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। साथ ही नजूल भूमि के स्वामित्व बदलने के लिए न्यायालय की कार्यवाही या प्राधिकारी के समक्ष आवेदन समाप्त और अस्वीकृत समझे जाएंगे।

फिल्म सिटी के लिए विकासकर्ता चयनित

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के फेज एक के निर्माण के लिए कैबिनेट ने विकासकर्ता का चयन को मंजूरी दे दी है। यह फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरे में नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक बनेगी। इसके लिए बेव्यू कंपनी का चयन किया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को बिडर बेव्यू, परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेटर आफ एवार्ड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मातृ भूमि योजना में 60% रकम देकर मनचाहा विकास

लखनऊ। राज्य सरकार गांवों की तर्ज पर शहरों में विकास कराने के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में देश-विदेश में रहने वाले लोग 60 फीसदी पैसा देकर अपने शहर में मनचाहा विकास करा सकेंगे। राज्य सरकार इसमें 40 फीसदी पैसा देगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। योजना के लिए लगने वाले शिलापट्ट में संबंधित व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा जाएगा। देश-विदेश में इसका प्रचार भी कराया जाएगा। इसके लिए विभिन्न देश के दूतावासों से सहयोग भी लिया जाएगा। वहीं 26 जनवरी, 15 अगस्त व दो अक्तूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि बुलाया जाएगा।

प्रदेश में मक्के की खेती को बढ़ावा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मक्के की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बाबत कृषि विभाग की ओर से लाये गये प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान की गयी। इसके तहत प्रस्तावित चार वर्षीय योजना के जरिये मक्के के रकबे का लगभग दो लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तार किया जाएगा। साथ ही 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक मक्के का उत्पादन किया जाएगा।

1600 मेगावाट की लागत मंजूर

लखनऊ। कैबिनेट ने अनपरा-ई विद्युत तापीय परियोजना की अनुमानित लागत 18624.83 करोड़ रुपये को मंगलवार को मंजूर कर दिया। एनटीपीसी और राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 50:50 फीसदी की अंशधारिता पर स्थापना की जानी है। परियोजना का काम पूरा होने पर यूपी की बिजली में 1600 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा। 800-800 मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित की जाएंगी।

डीजी आयुष देखेंगे सभी विधा का काम

लखनऊ। आयुष विभाग को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी निदेशालयों के साथ ही दो बोर्डों के लिए नियामक के रूप में आयुष महानिदेशालय गठित किया गया है। इन सभी के बीच आपसी समन्वय, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने और उनके अधिकार-कर्तव्य निर्धारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।